न्यायालय सेशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्र दीक्षित

निर्णय दिनांकः 20.06.2026

सेशन प्रकरण (CIS) संख्याः– 30/2022

सरकार बनाम सलमान

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–129/2021 महिला थाना, सवाईमाधोपुर।

अपराध अंतर्गत धारा–366, 376(2)(n), 384 भारतीय दण्ड संहिता

भाग प्रथम

A

परिवादिया/ पीड़िता	"पीड़िता" (माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पीड़िता व उसके परिजनों की पहचान प्रकट न हो, इसलिए उनका नाम अंकित नहीं किया जा रहा है।)
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक श्री जितेन्द्र शर्मा।
अभियुक्त का नाम व पता	सलमान पुत्र मंजूर निवासी राजबाग, कच्ची बस्ती थाना कोतवाली, सवाईमाधोपुर।
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री भोलाशंकर शर्मा, श्रीमती जूली खण्डेलवाल, श्री तनय शंकर शर्मा।
अधिवक्ता परिवादी पक्ष	मौहम्मद हामिद, मिर्जा मकसूद बेग।

B

अपराध की दिनांक	07.12.2021 से 3-4 माह पूर्व
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	08.12.2021
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	22.02.2022
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	24.05.2022
साक्ष्य प्रारम्भ की दिनांक	03.08.2022
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	18.06.2026
निर्णय दिनांक	20.06.2026
दण्डादेश की दिनांक	-

C

अभियुक्त का विवरण

क्रम सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अन्तर्गत धारा-	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा-428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि

1.	सलमान	12.01.2022	24.02.2022	366, 376(2)(n), 384 भारतीय दण्ड संहिता	दोषमुक्त	-	-

भाग -द्वितीय

अ- अभियोजन गवाहान

क्रम सं.	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी.डब्ल्यू.1	पीड़िता	घटना सम्बन्धी
पी.डब्ल्यू.2	शेखुद्दीन	नक्शा मौका व घटना सम्बन्धी अन्य गवाह
पी.डब्ल्यू.3	रामसिंह	होटलकर्मी/घटना सम्बन्धी अन्य गवाह
पी.डब्ल्यू.4	डॉ. निधि शर्मा	चिकित्सकीय गवाह
पी.डब्ल्यू.5	पीड़िता का पति	घटना सम्बन्धी
पी.डब्ल्यू.6	हरिसिंह	फर्द गिरफ्तारी, फर्द जब्ती, नक्शा मौका
पी.डब्ल्यू.7	श्योप्रकाश	फर्द गिरफ्तारी, फर्द जब्ती व नक्शा मौका
पी.डब्ल्यू.8	ओमप्रकाश	पीड़िता के ऋण लेने सम्बन्धी
पी.डब्ल्यू.9	डॉ. शिशिर बैरवा	चिकित्सकीय गवाह
पी.डब्ल्यू.10	राजवीर सिंह चम्पावत	अन्वेषण अधिकारी
पी.डब्ल्यू.11	कृष्णा सामरिया	अन्वेषण अधिकारी
पी.डब्ल्यू.12	गणपत	विधि विज्ञान प्रयोगशाला माल जमा बाबत।

ब- बचाव गवाह

क्रम सं.	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
	-	

स- न्यायालय गवाह

क्रम सं.	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ- अभियोजन प्रदर्शः

क्रम सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
01	प्रदर्श पी.1	तहरीरी रिपोर्ट
02	प्रदर्श पी.2	चॉक एफआईआर
03	प्रदर्श पी.3	बयान पीड़िता 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता
04	प्रदर्श पी.4	नक्शामौका
05	प्रदर्श पी.5	नक्शामौका
06	प्रदर्श पी.6	चिकित्सीय प्रतिवेदन पीड़िता
07	प्रदर्श पी.7ए	होटल का इंद्राज
08	प्रदर्श पी.8ए लगायत प्रदर्श पी. 11ए	होटल के रजिस्टर के इंद्राज की प्रति
09	प्रदर्श पी.12	फर्द जप्ती सीलशुदा पैकेट व लिफाफा
10	प्रदर्श पी.13	फर्द गिरफ्तारी सलमान
11	प्रदर्श पी.14	फर्द जब्ती मोबाईल
12	प्रदर्श पी.15	फर्द जब्ती मोटरसाईकिल
13	प्रदर्श पी.16	तस्दीक घटनास्थल
14	प्रदर्श पी.17	तस्दीक घटनास्थल
15	प्रदर्श पी.18	फर्द जब्ती शील्ड लिफाफा सलमान
16	प्रदर्श पी. 19	फर्द जब्ती डीवीडी
17	प्रदर्श पी.20	चिकित्सीय प्रतिवेदन सलमान
18	प्रदर्श पी.21	नोटिस 133 एमवी एक्ट
19	प्रदर्श पी.22	फर्द इत्तला सलमान
20	प्रदर्श पी.23 व 24	एफएसएल रसीद
21	प्रदर्श पी.25	पत्र
22	प्रदर्श पी.26	होटल रजिस्टर की प्रति
23	प्रदर्श पी.27	एफएसएल रिपोर्ट

ब- बचाव प्रदर्शः

क्रम सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
1	प्रदर्श -डी.1	पुलिस बयान पीड़िता
2	प्रदर्श-डी2	पहचान पत्र की प्रति

स- न्यायालय प्रदर्शः

क्रम सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
	--	

द- भौतिक वस्तुएंः

क्रम सं.	भौतिक वस्तु नम्बर	विवरण
	-	

1. संक्षेप में अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि पीड़िता ने तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 महिला थाना सवाई माधोपुर इन तथ्यों के साथ पेश की थी कि प्रार्थीया राजबाग शहर सवाई माधोपुर की रहने वाली है और प्रार्थीया के पड़ौस में प्रार्थीया के पति का दोस्त सलमान पुत्र मंजूर बैग भी रहता है जिसका प्रार्थीया के घर पर आना जाना रहता है। करीब 3-4 महिने पहले प्रार्थीया को लोन दिलाने के बहाने अपनी मोटरसाईकिल पर बैठाकर ले आया और रणथम्भौर रोड़ स्थित एक होटल में ले गया और वहां प्रार्थीया को कहा कि लोन देने वाली कंपनी के मैनेजर आ रहे है और वहां कुछ देर बाद एक आदमी उस होटल के कमरे में आया और उसे कमरे में बंद करके उसकी इच्छा के विरुद्ध पहले मुलजिम सलमान ने व उसके बाद उस व्यक्ति ने जबरन बलात्कार किया। इस तरह दोनों ने बारी-बारी से प्रार्थीया के साथ बलात्कार किया और मुलजिम सलमान ने अपने मोबाईल से उसकी नग्न अवस्था के फोटो और वीडियो खींच लिये और दोनों ने मिलकर धमकाया कि तूने यह बात किसी को बताई तो तुझे जान से खत्म कर देंगे। प्रार्थीया को मुल्जिम सलमान ने रणथम्भौर सर्किल से बस में बैठा दिया। उसके बाद प्रार्थीया अपने घर आ गई और अपने पति व घरवालों को डर के कारण बता नहीं सकी। उक्त मुलजिम किसी फाईनेंस कंपनी में काम करता है जिसने प्रार्थीया पर करीब 1 महिने से अनुचित तरीके से दबाव बनाता कि उसने उसकी मांग अनुरूप 50,000/- रुपये की राशि नहीं दी तो तेरे सारे फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा, तब प्रार्थीया उसकी धमकी से डर गई और उसके कहे अनुसार बंधन बैंक से दिनांक 26.11.2021 को राशि 80,000/- रुपये का लोन लिया जिसमें उसे 72,000/- रुपये मिले। उक्त राशि में से 50,000/- रुपये मुलजिम ने प्रार्थीया के घर आकर धमकी की अनुपालना में ले लिये और प्रार्थीया के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके घर पर भी बलात्कार किया। उसके बाद प्रार्थीया पर निरन्तर अनुचित तरीके से दबाव बनाकर राशि के लिए दबाव बना रहा है। प्रार्थीया ने अत्यन्त परेशान होकर अपने पति को पूरी बात बताई। तब उक्त मुकदमा दर्ज करवाने आई..... इत्यादि।

2. उक्त तथ्यों के साथ प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट पर FIR No.129/2021 अंतर्गत धारा 376डी, 384 भारतीय दण्ड संहिता दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। अनुसंधान के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया, गवाहान के बयान लिये, पीड़िता का दुष्कर्म सम्बन्धी व अभियुक्त का पुरूषत्व सम्बन्धी परीक्षण करवाकर रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की व अन्य आवश्यक अनुसंधान कर अभियुक्त सलमान के विरूद्ध धारा–376(2)(n), 384, 366 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन

दण्डनीय अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोप पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाईमाधापुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया, सेशन प्रकरण होने से यह प्रकरण इस न्यायालय को उपार्पित किया गया।

3. बहस आरोप सुनी जाकर उक्त अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–376(2)(n), 366, 384 के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पृष्ठ सं. 2 पर द्वितीय भाग में वर्णित गवाहान के बयान करवाये गये व पृष्ठ सं. 3 पर भाग द्वितीय में वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

5. अभियुक्त के कथन अन्तर्गत धारा-313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए स्वयं को निर्दोष होना बताया और यह भी कथन किया कि उनके द्वारा परिवादिया के पति के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवाया गया था, उससे बचने व रूपया ऐंठने की गरज से यह झूठा प्रकरण दर्ज करवाया है। बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने से इनकार किया है।

6. बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान लोक अभियोजक एवं विद्वान अधिवक्ता परिवादी मौहम्मद हामिद ने समरूप तर्क प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि पत्रावली पर आई अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त पर लगाये गये आरोप भलीभांति साबित होते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करवाये जाने का कारण भी स्पष्ट है कि पीड़िता को जान से मारने और उसके अश्लील फोटोज वायरल करने की धमकी दी गयी थी। उनका यह भी तर्क है कि अभियुक्त पीड़िता को कई बार होटल में लेकर गया जहाँ आरजूमन के नाम से होटल के रजिस्टर में इन्द्राज कराया जबकि आरजूमन वस्तुतः पीड़िता ही थी। पीड़िता के सशपथ कथनों पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। अन्त में उन्होंने अभियुक्त को दोषसिद्ध कर कड़ी सजा दिये जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये जिनका ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गयाः-

(1) (2022) SCC 74
फूल सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य

(2) (1996) AIR (SCW) 998
पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह व अन्य

(3) 2020(3) Cr.L.R. (Raj.) 1122
Moolya Vs State of Rajasthan

(4) 2015(1) Cr.L.R. (Raj.) 265
Gordhanlal Vs State of Rajasthan

(5) 2022(3) Cr.L.R. (Raj.) 955
Ram Chandra Vs State of Rajasthan

7. उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क प्रस्तुत किया है कि पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट ही अत्यधिक विलम्ब से दर्ज करवाई गई है जिसका कोई संतोषप्रद स्पष्टीकरण नहीं है। पीड़िता ने तहरीर प्रदर्श पी.1 में यह कहा है कि अभियुक्त ने उसे जान से खत्म करने की धमकी दी थी परन्तु यह नहीं कहा है कि अभियुक्त ने पीड़िता के नग्न फोटोज वायरल करने की धमकी दी हो। अपने सशपथ कथनों में पीड़िता ने कहा है कि अभियुक्त ने घटना के बारे में किसी को बताने पर नंगी फोटोज वायरल करने की धमकी दी थी जबकि इसका अंकन प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। उनका तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट इतने विलम्ब से दर्ज करवाये जाने के आधार पर ही अभियुक्त दोषमुक्ति का हकदार है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह भी तर्क है कि पीड़िता ने स्वयं के साथ दो व्यक्तियों द्वारा बलात्कार किया जाना बताया है परन्तु अन्वेषण के उपरान्त मात्र सलमान द्वारा ही बलात्कार किया जाना पाया गया है और सलमान के विरूद्ध भी यह प्रकरण झूठा है क्योंकि पीड़िता सलमान से पैसा लेती रहती थी और पीड़िता पर दूध के पैसे भी उधार थे जिन पैसों को माँगने पर यह झूठा केस दर्ज करवा दिया। उनका तर्क है कि होटल जैसे सार्वजनिक स्थान पर बलात्कार किया जाना सम्भव ही नहीं है तथा पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त पीड़िता को होटल में ले गया था। होटल के जिस कमरा नम्बर 112 की घटना बताई गई है उस कमरा नम्बर के सम्बन्ध में होटल के रजिस्टर प्रदर्श पी.7ए के इन्द्राज से स्पष्ट है कि इस कमरे की बुकिंग लाईट नहीं आने के कारण निरस्त कर दी गयी तथा पत्रावली में संलग्न प्रदर्श डी.2 से स्पष्ट है कि होटल में अभियुक्त के साथ आरजूमन ही आई थी, पीड़िता नहीं आई। अन्त में उन्होंने साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया है।

8. उभयपक्ष को सुनने के उपरांत अब न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु उत्पन्न होते हैंः-

(1) क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट अयुक्तयुक्त विलम्ब से दर्ज करवाई गई ? यदि हाँ, तो उसका प्रभाव ?

(2) क्या अभियुक्त द्वारा पीड़िता का अपहरण कर आमेर रिसोर्ट होटल व पीड़िता के मकान में पीड़िता के साथ बार-बार बलात्कार किया गया और पीड़िता के नग्न फोटो वायरल करने का भय दिखाकर 50,000/- रूपये देने के लिए उद्वापन किया गया ?

बिन्दु संख्या 1

क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट अयुक्तयुक्त विलम्ब से दर्ज करवाई गई ? यदि हाँ, तो उसका प्रभाव ?

9. इस प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट पीड़िता द्वारा दी गई तहरीर प्रदर्श पी.1 पर दिनांक 08.12.2021 को दर्ज की गई जिसके अनुसार रिपोर्ट दर्ज करवाने से 3-4 माह पूर्व अभियुक्त सलमान पीड़िता को लोन दिलाने के बहाने अपनी मोटर साईकिल पर बैठाकर एक होटल में ले गया और वहाँ अभियुक्त सलमान और एक अन्य व्यक्ति ने उसके साथ बलात्कार किया। तहरीर प्रदर्श

पी.1 के अनुसार सलमान ने अपने मोबाइल से उसके नग्न फोटो खींच लिये और दोनों ने धमकी दी कि यदि पीड़िता ने यह बात किसी को बताई तो उसे जान से खत्म कर देगें। उसके बाद अभियुक्त ने पीड़िता को बस में बैठा दिया तथा पीड़िता अपने घर आ गई लेकिन डर के मारे अपने पति व घरवालों को नहीं बता पाई। तहरीर प्रदर्श पी.1 के अनुसार अभियुक्त करीब एक महीने से उस पर 50,000/- रूपये देने का दबाव भी बना रहा है कि यदि रूपये नहीं दिये तो वह फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। इस धमकी से डर कर पीड़िता ने बंधन बैंक से ऋण लिया जिसमें से अभियुक्त ने 50,000/- रूपये उससे ले लिये और पीड़िता के घर पर भी अभियुक्त ने बलात्कार किया।

10. इस प्रकार तहरीर प्रदर्श पी.1 के अनुसर पीड़िता के साथ प्रथम बार 3-4 महीने पहले होटल में व द्वितीय बार दिनांक 26.11.2021 के आसपास पीड़िता के घर में बलात्कार किया। पीड़िता के साथ होटल में उसके साथ सलमान व एक अन्य व्यक्ति ने भी बलात्कार किया और उसके नग्न फोटो खींचे। पीड़िता के नग्न फोटोज का कोई अस्तित्व हो, इस सम्बन्ध में पत्रावली पर कोई सुदृढ़ अभियोजन साक्ष्य नहीं है। पीड़िता ने जहाँ अपनी तहरीर प्रदर्श पी.1 में दिनांक 07.12.2021 से 3-4 महीने पूर्व की घटना बताई है वहीं अपने सशपथ कथनों में ढेड़ साल पूर्व की घटना बताई है और पीड़िता के सशपथ कथन पी.डब्ल्यू.1 के रूप में दिनांक 03.08.2022 को लेखबद्ध किये गये हैं। इस प्रकार प्रदर्श पी.1 में अंकित घटना की समयावधि व पी.डब्ल्यू.1 के रूप में पीड़िता के सशपथ कथनों में वर्णित घटना की समयावधि में लगभग छः माह का अन्तर है। पीड़िता पी.डब्ल्यू.1 ने अपने सशपथ कथनों में मुख्य परीक्षा में ही यह भी कहा है कि होटल की घटना के 2-4 दिन बाद सलमान ने उसके घर पर आकर गलत काम किया था जबकि प्रदर्श पी.1 के अनुसार घर पर आकर यह गलत काम होटल की घटना के लगभग एक माह से अधिक समय पश्चात किया था। अपनी मुख्य परीक्षा में पीड़िता ने यह भी कहा है कि सलमान उसे होटल दो बार लेकर गया था लेकिन दो बार ले जाने का कोई अंकन तहरीर प्रदर्श पी.1 में नहीं है। स्पष्टतः कम से कम 3-4 महीने पुरानी घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यधिक विलम्ब से दर्ज करवाई गई और विलम्ब का कारण भी पीड़िता ने अपनी तहरीर प्रदर्श पी.1 व सशपथ कथनों में अलग-अलग बताया है। पीड़िता जो नग्न फोटोज सलमान द्वारा खींचे जाना कहती है ऐसे कोई नग्न फोटोज साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः इन परिस्थितियों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने में हुए विलम्ब का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण सामने नहीं आता और किसी संतोषजनक स्पष्टीकरण के अभाव में बलात्कार जैसे गम्भीर प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यधिक विलम्ब से दर्ज करवाया जाना अभियोजन पक्ष के लिए घातक है और इसका प्रभाव यह होगा कि अभियोजन साक्ष्य को अत्यन्त सावधानी से पढ़ा जाएगा।

बिन्दु संख्या 2

क्या अभियुक्त द्वारा पीड़िता का अपहरण कर आमेर रिसोर्ट होटल व पीड़िता के मकान में पीड़िता के साथ बार-बार बलात्कार किया गया और पीड़िता के नग्न फोटो वायरल करने का भय दिखाकर 50,000/- रूपये देने के लिए उद्यापन किया गया ?

11. उपरोक्त विचारणीय बिंदु को संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष के ऊपर है। इस क्रम में अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाहों को न्यायालय में पेश कर परीक्षित करवाया गया है जिनमें पी.डब्ल्यू.10 राजवीर सिंह चम्पावत व पी.डब्ल्यू.11 कृष्णा सामरिया इस प्रकरण के अन्वेषण अधिकारी हैं जो इस प्रकरण में स्वय द्वारा किये गय अन्वेषण का विस्तृत विवरण देते हुए अन्वेषण के दौरान प्राप्त दस्तावेजात और तैयार की गई फर्दात को प्रदर्शित कर साबित कराते हैं व अन्वेषण अधिकारी राजवीर सिंह चम्पावत पी.डब्ल्यू.10 के अनुसार अनुसंधान के उपरान्त अभियुक्त सलमान के विरूद्ध धारा–366, 376(2)(n), 384 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाया। अपनी प्रतिपरीक्षा में भी इस अन्वेषण अधिकारी ने अपनी मुख्य परीक्षा के अनुरूप ही कथन किये हैं।

12. पी.डब्ल्यू.12 गणपत, पी.डब्ल्यू.2 शेखुद्दीन, पी.डब्ल्यू.6 हरिसिंह, पी.डब्ल्यू.7 श्योप्रकाश पुलिसकर्मी हैं जो अन्वेषण अधिकारीगण के सशपथ कथनों के अनुरूप अन्वेषण प्रक्रिया की पुष्टि करते हुए अन्वेषण प्रक्रिया में स्वयं की भूमिका का कथन करते हुए तत्सम्बन्धी फर्दात को साबित करते हुए प्रदर्शित करवाते हैं। इन सभी अभियोजन साक्षीगण के सम्बन्ध में कोई तर्क अभियुक्त पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

13. पी.डब्ल्यू.3 राम सिंह होटल आमेर रिसोर्ट का मैनेजर है जो होटल रजिस्टर के इन्द्राज प्रदर्श पी.7ए लगायत प्रदर्श पी.11 ए को साबित करते हुए अभियुक्त सलमान को तो अपने होटल में रूकना कहता है परन्तु उसके साथ पीड़िता रूकी हो इसकी पुष्टि इसके सशपथ कथनों से नहीं होती है बल्कि प्रतिपरीक्षा में इस स्वतंत्र गवाह ने स्वीकार किया है कि प्रदर्श डी.2 आईडी आरजूमन नामक महिला की है जो रूम बुक करवाने आई थी। इस होटल प्रबन्धक ने यह भी स्वीकार किया है कि चारो–पाँचों बार जो महिला सलमान के साथ आई थी वह आरजमून ही आई थी।

14. इस प्रकार पी.डब्ल्यू.3 राम सिंह के सशपथ कथनों से भी अभियोजन पक्ष को आरोपित अपराध के सम्बन्ध में कोई सहायता नहीं मिलती है। बहस के दौरान विद्वान लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आरजूमन ही पीड़िता थी परन्तु पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि आरजूमन ही पीड़िता थी, अतः उनका यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

15. अन्वेषण अधिकारी कृष्णा सामरिया पी.डब्ल्यू.11 ने भी लोक अभियोजक के इन तर्कों के विपरीत यह स्वीकार किया है कि "होटल के रिकार्ड, फाईनेन्स कम्पनी में पीड़िता

के साथ अभियुक्त साथ रहा हो, ऐसी कोई आई.डी., सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं हुये।"

16. अभियोजन कहानी के अनुसार पीड़िता के साथ होटल आमेर रिसोर्ट के रूम नम्बर 112 में बलात्कार किया गया, इसका नक्शा प्रदर्श पी.4 बनाया गया है परन्तु उक्त होटल के प्रबन्धक राम सिंह पी.डब्ल्यू.3 द्वारा साबित होटल के रजिस्टर प्रदर्श पी.7ए के अनुसार दिनांक 18.09.2021 को अभियुक्त सलमान के नाम कमरा नम्बर 112 बुक तो हुआ था परन्तु लाईट नहीं आने के कारण 25 मिनट बाद ही यह बुकिंग निरस्त कर दी गयी। इस इन्द्राज से यह भी दर्शित नहीं होता है कि उस वक्त पीड़िता अभियुक्त सलमान के साथ थी।

17. पी.डब्ल्यू.8 ओमप्रकाश बंधन बैंक का प्रबन्धक है जो पीड़िता द्वारा अपनी शाखा से लोन लिया जाना कहता है परन्तु यह गवाह अपनी मुख्य परीक्षा में स्वयं कहता है कि गारण्टर के रूप में उसका पति पीड़िता के साथ आया था। इस गवाह के सशपथ कथनों से यह कहीं साबित नहीं होता है कि पीड़िता के साथ अभियुक्त सलमान या पीड़िता के पति के अतिरिक्त अन्य कोई आया हो।

18. पी.डब्ल्यू.9 डॉ. शिशिर बैरवा सलमान के पुरूषत्व सम्बन्धी परीक्षण का गवाह है जो अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी.20 को साबित करते हुए कहता है कि अभियुक्त सलमान पुरूषत्वहीन नहीं था।

19. पी.डब्ल्यू.4 डॉ. निधि शर्मा दिनांक 08.12.2021 को पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना कहती है और अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी.6 को साबित करते हुए कहती है कि पीड़िता के शरीर पर किसी प्रकार की चोट, सूजन इत्यादि के निशानात नहीं थे। मैं विद्वान लोक अभियोजक के इस तर्क से सहमत हूँ कि बलात्कार के तथ्य को साबित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि पीड़िता के शरीर पर चोटों के निशानात आवश्यक रूप से आये। हस्तगत प्रकरण में तो पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण भी बलात्कार की कथित घटना के काफी समय पश्चात हुआ है और पीड़िता एक शादी–शुदा बाल बच्चेदार महिला है, अतः पीड़िता के शरीर पर चोटों के कोई निशानात नहीं होने या ताजा सम्भाग की स्थिति चिकित्सकीय परीक्षण से स्पष्ट नहीं होना अभियोजन पक्ष पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालता।

20. पी.डब्ल्यू.5 पीड़िता का पति है परन्तु यह किसी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और इसको घटना की जानकारी पीड़िता द्वारा ही दी गई थी।

21. अब पीड़िता के सशपथ कथनों का विश्लेषण शेष रह जाता है। पी.डब्ल्यू.1 पीड़िता अपने सशपथ कथनों में तो तहरीर प्रदर्श पी.1 के तथ्यों को सारतः पुष्ट करते हुए अभियुक्त व एक अन्य द्वारा स्वयं के साथ ढेड़ साल पहले होटल में बलात्कार किया जाना कहती है और 2–4 दिन बाद उसके घर पर आकर बलात्कार किया जाना कहती है। साथ ही यह भी कहती है कि अभियुक्त उसे पहली बार जब लेकर गया तो उसके 2–4 दिन बाद दुबारा

लेकर गया परन्तु ऐसा कोई अंकन स्वयं पीड़िता द्वारा लेखबद्ध करवायी गई तहरीर प्रदर्श पी.1 में नहीं है। पीड़िता के सशपथ कथनों से यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि अभियुक्त उसे बल प्रयोग कर मोटर साईकिल पर बैठाकर ले गया हो। पीड़िता ने अपने सशपथ कथनों में मुख्य परीक्षा में यह तो स्वीकार किया है कि सलमान ने उससे 50,000/– रूपये माँगे और यह 50,000/– रूपये उसने उसे दे दिये परन्तु यह कहीं नहीं कहा है कि ये रूपये लेने के लिए अभियुक्त ने उसे किसी प्रकार से धमकी दी। इस प्रकार रूपयों के सम्बन्ध में पीड़िता के सशपथ कथनों में और तहरीर प्रदर्श पी.1 में गम्भीर विसंगतियां है। घटना की समयावधि को लेकर भी प्रदर्श पी.1 के तथ्यों व पीड़िता के सशपथ कथनों में अत्यधिक अन्तर है। तहरीर प्रदर्श पी.1 के अनुसार जहां होटल में प्रथम बार बलात्कार की घटना अगस्त, सितम्बर, 2021 में होनी चाहिए वहीं पीड़िता के सशपथ कथनानुसार उसके साथ बलात्कार की घटना फरवरी, 2021 के आसपास हुई थी। इस प्रकार घटनाक्रम घटित होने की समयावधि में अत्यधिक अन्तर है। होटल में बलात्कार की घटना के सम्बन्ध में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत इस तर्क से मैं सहमत हूँ कि होटल जैसे सार्वजनिक स्थान पर एक स्वस्थचित्त महिला के साथ एक अकेले व्यक्ति द्वारा बिना महिला की सहमति के बलात्कार किया जाना सम्भव नहीं है।

22. अभियुक्त पीड़िता को होटल में लेकर गया हो अथवा पीड़िता के घर आया हो, इस सम्बन्ध में भी कोई सम्पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं है। न तो होटल के रिकार्ड से ही इस बात की पुष्टि होती है न ही पीड़िता के आस पड़ौस के किसी ऐसे व्यक्ति को पेश किया गया है जो इस बात की पुष्टि करता कि अभियुक्त पीड़िता के घर पर आया था। पीड़िता के सशपथ कथनो से विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त के इस तर्क को भी बल मिलता है कि पीड़िता व उसके पति को अभियुक्त के रूपये चुकाने थे तथा पीड़िता के सशपथ कथनों से यह भी दर्शित होता है कि उसके व अभियुक्त के मध्य रूपयों का लेन–देन था। ऐसी स्थिति में अभियुक्त सलमान द्वारा अपने रूपये वसूली के लिए पीड़िता पर दबाव बनाये जाने की स्थिति में पीड़िता द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाये जाने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

23. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों को पूर्ण सम्मान देते हुए यह स्पष्ट है कि इन न्यायिक दृष्टान्तों में यह सामान्य सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि एकल विश्वसनीय साक्षी की साक्ष्य दोषसिद्धि का आधार हो सकती है एवं यदि पीड़िता की साक्ष्य विश्वसनीय हो तो चिकित्सकीय रिपोर्ट से सम्पुष्टि नहीं होने पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है परन्तु हस्तगत प्रकरण में स्वयं पीड़िता के सशपथ कथनों में अनेक विसंगतियां है और पीड़िता द्वारा दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 व उसके सशपथ कथनों में भी अनेक विरोधाभास है। यहाँ तक कि बलात्कार जैसी गम्भीर घटना की समयावधि में भी तहरीर प्रदर्श पी.1 के तथ्यों में व पीड़िता पी.डब्ल्यू.1 के सशपथ कथनों में एक रूपता नहीं है। इन परिस्थितियों में विचारणीय बिन्दु संख्या 1 के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए मेरी विनम्र राय में मात्र पीड़िता के असम्पुष्ट व विसंगतिपूर्ण कथनों के आधार पर ही यह नहीं माना जा सकता कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त विचारणीय बिंदु संख्या 2 को संदेह से परे साबित कर दिया हो। अतः यह विचारणीय बिंदु

संख्या 2 अभियोजन के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है एवं अभियुक्त उस पर लगाये गये आरोपों से संदेह का लाभ प्राप्त कर दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

24. परिणामतः अभियुक्त सलमान पुत्र मंजूर निवासी राजबाग, कच्ची बस्ती थाना कोतवाली, सवाईमाधोपुर को धारा–376(2)(n), 384, 366 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दण्डनीय अपराधों के आरोप से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है।

(देवेन्द्र दीक्षित)
सेशन न्यायाधीश, सवाईमाधोपुर

25. निर्णय आज दिनांक 20.06.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(देवेन्द्र दीक्षित)
सेशन न्यायाधीश, सवाईमाधोपुर